फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

मथरादेवी वगैरा बनाम ग्रा0 पं0 मदेरा व बाबूलाल

निगरानी पंचायत अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 20 / 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
13.06.16	निगरानीकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित। निगरानी बाद रिपोर्ट पेश हुआ। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निगरानी में मियाद के बिन्दू पर निर्णय कोसुरक्षित रखते हुए निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जावे। स्थगन प्रार्थना पत्र पर निगरानीकर्ता के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता के तर्को से सहमत होते हुए प्रथमदृष्टया मामला निगरानीकर्ता के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र आराजी तौर पर स्वीकार किया जाता है तथा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि निगरानीकृत पट्टा जो दिनांक 18–12–10 को अप्रार्थी सं0 2 बाबूलाल को जारी किया गया है, के रेकार्ड के संबंध में यथास्थिति बनाई रखी जावे। आदेशिका की प्रति जारी हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकार्ड तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 14–07–16 को पेश हो। 13/6/16	1422 stay order 14.06.16 to G.P. N.J. [illegible] 1426 15.06.16
14.7.16	नि० कर्ता के Ad. उप०। पूर्व में जारी स्थगन की अवधि आ० ता० पेशी तक बढ़ाई जाती है। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद/अदम तामील वापिस प्राप्त नहीं हुए हैं और न ही रेकार्ड प्राप्त हुआ है। पत्रावली इंतजार नोटिस व रेकार्ड में दि० 12.8.16 को पेश हो। पुनश्च! इतना लिखने पर अप्रार्थी सं० दो बाबूलाल की ओर से श्री सुभाष सि० Ad. ने वकालतनामा पेश किया - शा० शामिल हो। रेकार्ड तलब करें। पत्रावली पूर्व निर्धारित दि० 12.8.16 को पेश हो।	

Scanned with OKEN Scanner

14.10.25 अधिवक्ता उत्तरपक्ष उपस्थित। जवाब हेतु अवसर चाहा गया, जो दिया गया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.25 को पेश हो।

26.11.25 अधिवक्ता उत्तरपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 21.01.26 को पेश हो।

21.01.26 पीठासीन अधिकारी अवकाश-भ्रमण-पर .. R.O. मिटिंग कार्य मे व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनाक 04/3/26 को पेश हो।

04/3/26 बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे है। पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 08.4.26 को पेश हो।

08.04.26 अधिवक्ता उत्तरपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा० पत्र दिनांक 19.5.26 को पेश हो।

19.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित नहीं। अधिवक्ता निगरानीकर्ता को पृथक–पृथक समय पर रूक–रूक कर, बार–बार आवाजें लगाई गई, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में निगरानी अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे व बाद तरतीब तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे।

आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner